

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त दिलीप बाथम पुत्र राधाकिशन थाना को० फरुखाबाद मु०अ०सं०- 405/2013 वाद स०- 263/2013 धारा- 25 आर्म्स एक्ट को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 29.11.2024 को मा० मा० न्यायालय ए०डी०जे०-०१ कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर ०१ वर्ष का कारावास व ०२ हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी-श्री अखिलेश राजपूत



कोर्ट मोहरीर हे०का० प्रमोद कुमार



पैरोकार का० तुलाराम

कोतवाली फरुखाबाद

दिनांक-29.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभि०गण 1. दिलीप बाथम पुत्र राधाकिशन 2. भईयालाल पुत्र नन्हे निवासी गण लालदरवाजा थाना को० फरुखाबाद मु०अ०सं०- 383/2013 वाद स०- 224/2013 धारा- 307 भा०द०वि० को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 29.11.2024 को मा० मा० न्यायालय ए०डी०जे०-०१ कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को ०३-०३ वर्ष का सश्रम कारावास व ०५-०५ हजार ₹० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी. श्री अखिलेश राजपूत



कोर्ट मोहरीर हे०का० प्रमोद कुमार



पैरोकार का० तुलाराम



